(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1637–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–05–2012 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 18/2010–11/अपील

....

1– महेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह
2– तेजसिंह पिता नारायण सिंह
3– विष्णुकुंवर बाई पिता नारायण सिंह
4– पुष्पकुंवर बाई पिता नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी
एवं कृषक ग्राम किशोनी तह0 शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– पंकजकुमार पिता नारायण सिंह
2– कला बाई पति नारायण सिंह
दोनों जाति राजपूत,
निवासी– ग्राम किशोनी तह0 शुजालपुर जिला–शाजापुर म0प्र0

........अनावेदकगण

....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री टी0टी0 गुप्ता एवं श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 3/6/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–05–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदन वास्ते बंटवारा कृषि खाता क्रमांक 33 कुल किता 4 रकबा 2.895 हेक्टर का ग्राम किशोनी तहसील शुजालपुर व जिला शाजापुर में स्थित है, के संबंध में तहसील न्यायालय शुजालपुर में प्रस्तुत किया था जिसे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ–27/2010–11 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 06–07–2011 से बंटवारा आदेश पारित किया गया । बंटवारा इस आधार पर किया गया था कि कलाबाई पति नारायण सिंह ने अपनी पैत्रिक सम्पत्ति दिनांक 18–06–2010 को आवेदकगण एवं विपक्षी द्वारा सहमति एवं गवाहों के समक्ष उप–पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर उभयपक्षों के फोटोग्राफ चस्पा कर विधिवत रजिस्टर्ड बंटवारा किया गया है । उक्त रजिस्टर्ड बंटवारे के आधार पर तहसीलदार शुजालपुर द्वारा विधिक प्रक्रियों का पालन करते हुए बंटवारा किया गया इसकी विधिवत सूचना अनावेदकगण को दी गयी थी । अनावेदकगण द्वारा बंटवारा आवेदन पर नामांतरण नहीं किये जाने की आपत्ति पेश की गई। अनावेदकगण द्वारा 3 माह उपरांत अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर, में विलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें धारा 5 के आवेदन पत्र में युक्तीयुक्त कारण दर्शित नहीं किया गया । इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा धारा 5 विलम्ब माफी का आवेदन स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 22–05–2012 पारित कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–05–2012 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से आधार प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर उभयपक्षों के विधिवत कथन लिये जाकर बंटवारा आदेश पारित किया था एवं यह पंजीकृत बंटवारा दिनांक 18–06–2010 को उप–पंजीयक कार्यालय, शुजालपुर के समय सम्पादित हुआ था । उक्त बंटवारे के दस्तावेज पर आवेदकगण एवं अनावेदक के फोटोग्राम सहित हस्ताखर तस्दीक हुए थे । उक्त बंटवारे आवेदकगण एवं विपक्षीगण पर बंधनकारी है क्योंकि रजिस्टर्ड बंटवारे को केवल सिविल न्यायालय से ही अवैध घोषित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय शुजालपुर का आदेश उभयपक्षों पर बंधनकारी होने से उक्त आदेश की यथासमय जानकारी रहने के उपरांत विलम्ब से प्रस्तुत अपील किये जाने पर धारा 5 अवधि विधान अधिनियम का आवेदन

पत्र स्वीकार किये जाने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गयी है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा जानबूझकर असद्भाविक एवं बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को माफकर विधि एवं तथ्यात्मक भूल की है, इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश अपास्त कियो जाने योग्य है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि कलाबाई एवं पंकज मॉ–बेटे हैं तथा महेन्द्र, तेजसिंह, पुष्पकुंवर एवं विष्णुकुंवर बाई भी कलाबाई की पुत्र पुत्रियॉ हैं ओर इनके मध्य चलने वाले हर प्रकरण की जानकारी उन्हें यथा समय रही है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अनावेदकगण द्वारा विलम्ब माफी हेतु प्रस्तुत आवेदन निराधार एवं निरस्ती योग्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब माफकर जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत नहीं है । अपीलीय न्यायालय, किसी प्रकरण में अपील के निर्धारित सीमा को न तो बढ़ा सकता है और न ही कम कर सकता है, जब कोई अपील समय वर्जित हो, तब अपील न्यायालय उसे सुनने के लिए सक्षम नहीं है । न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के अधीन समय वर्जित नहीं सुनी जा सकती । इस संबंध में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत 1992 आर0एन0 289 उच्च0 न्याया0 का उल्लेख किया । उपरोक्त प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, शुजालपुर के न्यायालय में व्यवहार बाद क्रमांक 36ए/11 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके हित में आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अन्तरित ब्यादेश संबंधी आदेश दिनांक 17–08–2011 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय में दीवानी अपील क्रमांक 28/11 प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2012 पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 17–06–2011 को अपास्त कर आवेदकगण के हित में अंतरिम व्यादेश प्रदान किया गया है । इसलिए उपरोक्त आदेश पर विचार करते हुए आवेदकगण की वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2012 अपास्त किया जाये एवं तहसील न्यायालय शुजालपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2011 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क किये गये कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—7—2011 को जो बंटवारा विलेख दिनांक 18—6—10 के आधार पर किया गया है और बंटवारा बिलेख अनुसार पटवारी ग्राम द्वारा जो नामान्तरण किया गया है वह विधि एवं विधान के विपरीत है । आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20—6—11 को वंटवारा विलेख दिनांक 18—6—10 के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्ति दिनांक 20—6—2011 के पूर्व ही बिना किसी आवेदन के दिनांक 4—5—11 को प्रकरण दर्ज कर विज्ञप्ति जारी करने का आदेश कर दिया और विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपत्ति करने के लिये केवल दो दिन का समय दिया गया जो नामान्तरण नियमों के विपरीत होकर अवैधानिक है । विचारण न्यायालय के प्रकरण में अनावेदिका कमांक 2 कला बाई के जहॉ जहॉ भी हस्ताक्षर हैं वह फजी हस्ताक्षर हैं जो आवेदक द्वारा ही किये गये हैं । विचारण न्यायालय के प्रकरण में अनावेदिका कमांक 2 द्वारा जो कथन दिनांक 14—6—11 को लिपिबद्ध किये गये हैं वह कथन अनावेदिका कमांक 2 ने नहीं दिये है और कथन पर हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं । अनावेदिका कमांक 2 के द्वारा जो कार्यवाही की जाना विचारण न्यायालय के प्रकरण में दर्शाई गई है वह समस्त कार्यवाही फर्जी है । विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण व बंटवारा नियमों का पालन नहीं किया गया है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में यह भी कहा कि विचारण न्यायालय में बटवारे की कार्यवाही में अनावेदक के उपस्थिति के बिना तथा अन्य अनावेदक कलाबाई के हस्ताक्षरों में भिन्नता है । बंटवारे की जानकारी पंकजसिंह को तो बिल्कुल भी नहीं रही । यह निष्कर्ष अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया तथा धारा 5 का आवेदन पत्र सद्भावना पूर्ण एवं सारवान मानते हुये स्वीकार किया। बंटवारा प्रकरण में पंकजसिंह विधिवत् पक्षकार है और उसको बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा अनावेदक के अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को समय सीमा में मान्य किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है एवं विधिवत् आदेश पारित किया है। लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदकगण द्वारा अपनी लिखित बहस में सभी पक्षकारों की सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित होना बताया है जो पूर्णरूप से गलत है । अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा

निवेदन किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिवत् होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें समयसीमा से दी गई छूट के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अनावेदकगण [redacted] बंटवारा प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है इस पर कोई विवाद नहीं है। तहसीलदार के बंटवारा आदेश में उनका भी उल्लेख है । प्रकरण में जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी ने विवेचना की है, अनावेदक पंकज सिंह तहसील में बंटवारा कार्यवाही में न तो उपस्थित रहे, न उन्हें सूचना दी गई । अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी पाया है कि अनावेदिका कलाबाई की उपस्थिति भी सन्देहास्पद है । निश्चित रूप से तहसील का आदेश अनावेदक की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसके विरूद्ध उन्हें अपील का अधिकार प्राप्त है । जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील मानने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटी नहीं की है । प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण अभी होना है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें परिवर्तन का कोई आधार नहीं है । फलतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर